

प्रश्न सं. [क. 2326]

विधान सभा ज्ञातांकित प्रश्न क्रमांक 2326 का परिशिष्ट - एक
18/7/16

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एस.एच.टी.ओ./सेल-2/

भोपाल, दिनांक /12/2015

प्रति,

मान. श्री प्रताप सिंह,
विधायक,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-56
ग्राम व पोस्ट-बैरागढ (पुरा)
तहसील तेन्दूखेडा, जिला-दमोह (म.प्र.)

विषय:- दमोह जिले के तेन्दूखेडा एवं जबेरा स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराये जाने बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 579/दिनांक 25.11.2015.

00

विषयान्तर्गत मान. स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके द्वारा संबोधित पत्र के अंतर्गत एम्बुलेंस मांग के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा कय किये गये समस्त एम्बुलेंस वाहन शासन स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जी.व्ही.के. (ई.एम.आर.आई.) के द्वारा पूरे प्रदेश में "एकीकृत संजीवनी-108" के तहत मरीजों के हितार्थ एम्बुलेंस सुविधा संचालित की जा रही हैं। इस सुविधा का लाभ दमोह जिले के अंतर्गत आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड तेन्दूखेडा एवं जबेरा स्वास्थ्य केन्द्रों के मरीजों द्वारा भी लिया जा सकता है।

संयुक्त संचालक, (परिवहन) द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक(परिवहन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 31/12/2015

पृ. क्रमांक/एस.एच.टी.ओ./सेल-2/1206

प्रतिलिपी-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास, बी-6, चार इमली भोपाल - म.प्र.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इण्डिया, परिसर, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.।
4. प्रभारी संचालक, (अस्पताल-प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दमोह म.प्र.।

उप संचालक(परिवहन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल (म.प्र.)

(डॉ. डी.के. गौड़)
उप संचालक, एनआरएचएम